न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा0 प0 संख्या 170/2012

1. बृज मोहन
2. हरिप्रसाद
3. प्रभुदयाल पुत्रगण सुरजा समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण सांगरवा, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. चांदमल
2. द्वारका प्रसाद पुत्रगण स्व0 जगदीश
3. ताराचन्द पुत्र स्व0 केशर
4. भागोती बेवा स्व0 केशर समस्त जाति ब्राहमण्ध निवासीगण सांगरवा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
5. उप पंजीयक सीकर
6. तहसीलदार, सीकर

– अप्रार्थीगण –

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –वकील प्रार्थीगण– श्री प्रभातीलाल
वकील अप्रार्थीगण – श्री बनवारीलाल शर्मा

निर्णय

दिनांक : 18.7.2022

वकील प्रार्थीगण ने एक दावा उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का मय आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

प्रकार से है कि वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का सजरा खानदान एक ही है। ग्राम बुटोली तहसील व जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 53 व 145 किता 2 कुल रकबा 1.29 है0 अवस्थित है। जिसके पुराने मूल खसरा नम्बर 45 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा के विभाजित पुराना खसरा नम्बर 45/1 व 45/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा अवस्थित है। जिसको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व प्रार्थीगण के पिता सुरजा काश्त करता था तथा भूमि का लगान जागीरदार व बाद में सरकार को अदा करता था जिस कारण प्रार्थीगण के पिता को वादग्रस्त भूमि बाई ऑपरेश ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये । प्रथम बन्दोबस्त जमाबंदी सम्पत 1993 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व एंव पश्चात की जमाबंदी संवत 2011 से 2022 में प्रार्थीगण के पिता का नाम खातेदार के कॉलम में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का पिता जगदीश प्रार्थीगण के पिता सुरजा का सगा बड़ा भाई था जो कि संवत 2018 के लगभग ग्राम पंचायत सांगरवा का सरपंच रहा जो कि बहुत चाला एवं चतुर किस्म का व्यक्ति था तथा सुरजा साक्षर एवं भोला व्यक्ति था। जो संवत 2020 के लगभग आकस्मिक दुर्घटना में जलने के कारण अपाहिज हो गया था एवं प्रार्थीगण छोटे थे जो कि कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं रखते थे। जिसका नाजायज फायदा उठाते हुऐ अप्रर्थी संख्या 1 ता 4 के पिता ने अपने राजनैतिक एवं धन के प्रभाव का इस्तेमाल करके तत्कालीन पटवारी से गिरदावरियों में बिना कब्जा काश्त के ही अपना नाम दर्ज करवा लिया एवं संवत 2025 से 2028 में मूल खसरा नम्बर 45 में बिना किसी सक्षम आदेश के विभाजित खसरा संख्या 45/1 रकबा 11 बिस्वा, 45/2 रकबा 5 बिस्वा एवं 45/3 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा की जमाबंदी में बदनियति पूर्वक प्रार्थीगण के पिता के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा लिया । जो कि एक अपराधिक कृत्य था। प्रार्थीगण के पिता को सदोष नुकसान पहुंचाने के लिये रिकार्ड ऑफ राईटस में से नाम हटाकर अप्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज कर दिया । जिसकी जानकारी हमारे पिता माता आदि को नहीं होने दी। प्रार्थीगण निर्विवाद रूप से लगातारा काश्त करते रहे । परन्तु अचानक दिनांक 10.7.2012 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने धमकी देकर कहा कि इस जमीन का कब्जा छोड़ों इसके राजस्व रिकार्ड में बरसों से हमारा ही नाम दर्ज है। यदि कब्जा नहीं छोड़ा तो जबरन बेदखल कर देगें। इस पर प्रार्थीगण ने नकल दिनांक 11.7.2012 को प्राप्त की जब पता चला कि प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम आदेश के हटाकर अप्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज करवा लिया । नामा0 संख्या 4 भी प्रार्थीगण की जानकारी के बिना दर्ज करवा लिया । जब अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के पिता का नाम ही गलत दर्ज हुआ है तो अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुआ विरासत का नामा0 सं0 4 प्रारम्भ से ही अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीगण

13/12/22

उपखण्ड अधिकारी- सीक

के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करें तथा बेदखल करने विक्रय करने आदि से बाज रहें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्यां 1 ता 4 जरिये वकील उपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 5 ता 6 उपस्थित नहीं रहे इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जवाब मय काउण्टर आवेदन प्रस्तुत किया। अपने जवाब में प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन किया एवं अपने काउण्टर आवेदन में कथन किया कि विवादित आराजियात में प्रार्थीगण ने बरसाती फसल करने के बाद गेहूं की फासल काश्त की है जिसमें दखल देने व अवरोध करने का कोई कानूनी अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है। इसलिये उन्हे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदांजी करने से पाबन्द किया जावे। अपने जवाब व काउण्टर आवेदन के समर्थन में देवाराम पुत्र मांगूराम गूजर निवासी बूटोली एवं राजू पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी हरिपुरा के शपथ पत्र पेश किये। काउण्टर आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने काउण्टर आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया एवं अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराया ।

बहस वकील उभयपक्ष सूनी गई जो मुताबिक आवेदन, जवाब आवेदन रही। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन के निर्णय के लिये तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णित क्षति पर विचारण किया जाता है। जो निम्न प्रकार से हैं–

1. **प्रथम दृष्टया मामला–** प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड मिलान क्षैत्रफल से यह प्रमाणित है कि खसरा नम्बर 45/1 के नये खसरा नम्बर 53 रकबा 0.28 है0 एवं 45/1 के नये खसरा नम्बर 145 रकबा 1.01 है0 बने है। ठिकाना राज सवाई जय सिंह से लेकर जमाबंदी सम्वत 2019 से 22 तक पुराने खसरा नम्बर 45 की खातेदारी सूरजा वल्द गूला कोम ब्राहम्ण के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 45/1 व 45/3 की खातेदारी संवत 2026 से 2034 तक जगदीश पुत्र गूला के नाम खातेदारी में दर्ज है। इसके पश्चात की जमाबंदियों में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का नाम दर्ज है तथा वर्तमान में भी विवादित भूमियों की खातेदारी इन्ही के नाम से दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के स्पष्ट है कि खातेदारी पूर्व में सूरजा के नाम रही है तथा बाद में जगदीश के नाम तथा उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के नाम से

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

रही है। दोनों ही पक्षों द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि खातेदारी सूरजा से जगदीश के नाम कैसे दर्ज हुई। इस प्रकार दोनों पक्षों का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन – प्रथम दृष्टया मामला दोनों ही पक्षो के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं है।

3. अपूर्णिय क्षति – अप्रार्थीगण यदि भूमि को वाद के निर्णय तक विक्रय करते है तो प्रकरण में वाद बाहुलता बढेगी । विवादित आराजियात की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को विक्रय हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। इसके साथ ही अप्रार्थीगण खातेदार है तो वाद के निर्णय तक उन्हे कृषि कार्य करने में किसी प्रकार से बाधा उत्तपन्न नहीं करने हेतु प्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार अपूर्णिय क्षति का सिद्वांत दोनो ही पक्षों पर लागू होता है।

4. निष्कर्ष– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 53 व 145 वाके ग्राम बूटोली तहसील व जिला सीकर पर प्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे अप्रार्थीगण के कृषि कार्य में किसी प्रकार से दखलदांजी तादौरान वाद नहीं करें एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे तादौराने वाद भूमि को विक्रय नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 18.7.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया ।

18/7/22

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर